पेज थ्री
देहरादून

हमारा दून

देहरादून, बुधवार, 3 नवंबर 2021

धनवंतरी भवन में पूजन एवं सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग करती हुई महापौर ममगाई।

संक्षिप्त समाचार

तहसील दिवस पर फरियादियों के लिए तरसे अधिकारी

संवाददाता ऋषिकेश। त्योहारी सीजन में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारी फरियादियों की बाट जोहते रहे। पूरे दिन में सिर्फ तीन मामले दर्ज किए, इनका भी निस्तारण नहीं हो पाया। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर आयोजित तहसील दिवस फीका रहा। कुल तीन मामले ही सामने आए। मंगलवार को ऋषिकेश तहसील सभागार में नायब तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विभागीय अधिकारी जन समस्याओं को सुनने के लिए तहसील दिवस में मौजूद रहे। लेकिन जनसमस्या रखने वाले नहीं पहुंचे।

देश और दुनिया ने समझी आयुर्वेद की उपयोगिता

संवाददाता ऋषिकेश। नगर निगम महापौर अनिता ममगाईं ने कहा कि आयुर्वेद की उपयोगिता और उसका कारगार असर समूची दुनिया ने वैश्विक महमारी कोरोना काल में समझा और महसूस किया ही। प्राचीन योग एवं आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम रंग लाई है। मंगलवार को धनवंतरी दिवस एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर ऋषिकेश आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ के तत्ववावधान में धनवंतरी भवन में पूजन एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ट्रैवल के क्षेत्र में उठाव से ईज माय ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड को मिला फायदा

संवाददाता देहरादून। ईज माय प्लानर्स लिमिटेड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेवल पोर्टल है। ट्रैवल सेक्टर के साथ ही हॉस्पिटालिटी सेक्टर में फिर से आये उठाव से यह कम्पनी आने वाली तिमाही में वृद्धि की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है। एक औद्योगिक रिपोर्ट के अनुसार हवाई यात्रा के टिकट का बाजार मौटे तौर पर 80,000 करोड़ का है, जिसके कि अगले 4 से 5 सालों में 15 प्रतिशत सालाना की दर से वृद्धि करने की पूरी संभावना है क्योंकि वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर नए एयर पोर्ट खुल रहे हैं।

पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया ने की "यूएनओ प्लस" सीरीज लॉन्च

संवाददाता देहरादून। देश में इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शलन मैटेरियल (ईसीएम) के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया ने प्रीमियम स्विचगियर की नवीनतम रेंज लॉन्च की। यह गुणवत्ता के प्रति सजग भारतीय उपभोक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन डिवाइसेस की उन्नत रेंज है। नई यूएनओ प्लस रेंज में मिनिएचर सर्किस ब्रेकर (एमसीबी), रेजिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) और डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड शामिल हैं। इसके अलावा यूएनओ प्लस रेंज में 10केए सेग्मेंट में कई अनूठे फीचर्स हैं।

80 से अधिक आयु के मतदाता कर सकेंगे पोस्टल बैलट से मतदान

- एकीकृत निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन किया गया
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी

आलेख्य

संवाददाता

देहरादून। 1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर एकीकृत निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन किया गया है। इस पर 1 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। मीडिया सेंटर, सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 30 नवम्बर तक प्रस्तुत दावों और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। बीएलओ के द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2021 से 15 सितम्बर 2021 तक घर–घर जांच और सत्यापन का कार्य संपादित किया गया। घर–घर जांच और सत्यापन के दौरान डीएससी, एकाधिक प्रविष्टियों और लॉजिकल एरर आदि को हटाए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई।

पुनरीक्षण कार्य के लिए मण्डलायुक्त निर्वाचक नामावली के प्रेक्षक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के सुव्यवस्थित संचालन और संपादन के लिए आयोग द्वारा दोनों मण्डलों के मण्डलायुक्तों को निर्वाचक नामावली के प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कम से कम तीन बार अपने मण्डल के सभी जनपदों का भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण कर आयोग को समय–समय पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित किया गया: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचक नामावली का 1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पुनरीक्षण से पूर्व प्रारम्भिक तैयारियों के आलोक में मतदेय स्थलों के मानकीकरण भी किया गया। इसमें, किसी भी मतदाता को अपने आवास से मतदेय स्थल तक पहुंचने के लिए 2 किमी से अधिक पैदल दूरी तय न करनी पड़े, 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों को विभाजित किया जाना आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन प्रस्तावों पर आयोग से दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को अनुमोदन प्राप्त हुआ और तदनुसार समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा इसका नियमानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन किया गया। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने के साथ–साथ सर्व साधारण की जानकारी के लिए कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट http://ceo-uk-gov-in पर भी उपलब्ध है। प्रत्येक मतदेय स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार रैम्प, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर, विद्युत, हेल्प डेस्क, उचित संकेतांक, महिला व पुरूष के लिए अलग–अलग शौचालय, शेड जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

1 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर अभी भी जुड़वा सकते हैं अपना नाम: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत के ऐसे नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रारूप–6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में जिन निर्वाचकों के नाम, अन्य विभिन्न विवरण या फोटोग्राफ आदि त्रुटिपूर्ण अथवा अशुद्ध हैं, उसे सही कराने के लिए प्रारूप–8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, निर्वाचक नामावली में फ्लैग्ड किए गए दिव्यांगजनों के पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य में आलेख्य निर्वाचक नामावली के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों की संख्या 165113 है।

30808 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि पर दिनांक 15 जनवरी 2021 को उत्तराखण्ड में 78 लाख 15 हजार 192 मतदाता थे। 01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि पर दिनांक 01 नवम्बर 2021 के आलेख्य में कुल मतदाताओं की संख्या 78 लाख 46 हजार हो गई है। इस प्रकार दिनांक 15 जनवरी 2021 से 12 अक्टूबर 2021 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य में 30 हजार 808 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। प्रति हजार पुरूषों के सापेक्ष महिला लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है।

कोविड संक्रमण के दृष्टिगत स्थिति नियंत्रण में होने पर सरकार ने दी छूट

कोविड प्रतिबंध

- कोविड प्रतिबंध में दी गई और छूट, विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे सभी मेहमान

संवाददाता

देहरादून। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत स्थिति नियंत्रण में होने पर सरकार ने आज धनतेरह के दिन इसमें और छूट दी है। अब विवाह समारोह, कोचिंग संस्थान, धार्मिक समारोह, राजनीतिक समारोह में शाघमिल होने की पूर्ण छू दी गई। बात दें कि राज्य में कोविड पाबंदी की अवधि 20 नवंबर तक है।

पूर्व में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में बढ़ते हुए कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कोविड कर्फ्यू के आदेश 18 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए कोविड पाबंदी में संशोधन किया गया है।

अब राज्य में कोविड 19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड पाबंदी में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकाल के तहत सम्मिलित होने की अनुमित दी गई है।

होटल और रेंस्तरा भी पूरी क्षमता के साथ खुले
होटल रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की पैक कराने और होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, होटलों में स्थित कान्फ्रेंस हाल, स्पा सेंटर, जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किए जाने की अनुमति है।

100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे कोचिंग संस्थान: राज्य के समस्स्त कोचिंग संस्थान जो छात्र और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते है वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खलेंगे और आनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों की ओर से प्रोत्साहि किया जाएगा।

सभी समारोह के लिए मिली छूट राज्य में समस्त समाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्य समारोह का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

ये वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे: राज्य के समस्त जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, स्पा सेंटर, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, आडिटोरियम आदि और इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

डेंगू के प्रकोप से बचाने को मोर्चा ने डीएम से लगाई गुहार

संवाददाता विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विकास खंड विकासनगर के कई ग्रामों में डेंगू के प्रकोप से आमजन को बचाने हेतु जिलाधिकारी आर. राजेश कुमार से वार्ता कर स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय कर इसकी रोकथाम व अन्य उपाय करने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। नेगी ने कहा कि ग्राम जीवनगढ़ डेंगू की चपेट में काफी हद तक आ चुका है तथा एक–दो लोगों की मौत भी हो चुकी है तथा दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोग स्वस्थ होकर आ चुके हैं। इसी प्रकार ग्राम कुंजा ग्रांट में भी कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं एवं अन्य ग्रामों में भी थोड़ा–थोड़ा इसका प्रकोप लगातार कुछ बढ़ रहा है। नेगी ने कहा कि समय रहते इसकी रोकथाम जरूरी है एवं आमजन को भी सावधानी बरतनी जरूरी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।